

2514

INDIA NON JUDICIAL

Sharma

Government of Uttar Pradesh

SUMIT CHATURVEDI  
ACC ID-UP14104004  
MATHURA

e-Stamp

23164/20



Certificate No. : IN-UP42771776454457U  
 Certificate Issued Date : 07-Nov-2022 12:38 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14104004/ MATHURA/ UP-MTH  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1410400478348825174633U  
 Purchased by : KRISHNA GREENS DEVELOPERS  
 Description of Document : Article 23 Conveyance  
 Property Description : NAUJA KOTA-DISTT MATHURA  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : SANGEETA AGRAWAL  
 Second Party : KRISHNA GREENS DEVELOPERS  
 Stamp Duty Paid By : KRISHNA GREENS DEVELOPERS  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,45,700  
 (One Lakh Forty Five Thousand Seven Hundred only)



Please write or type below this line

Sangeeta Agrawal

0013962631



INDIA NON JUDICIAL





Government of Uttar Pradesh

*Sumit*  
SUMIT CHATURVEDI  
ACC ID-UP14104004  
MATHURA

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP42779375740654U  
Certificate Issued Date : 07-Nov-2022 12:40 PM  
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14104004/ MATHURA/ UP-MTH  
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1410400478354782842173J  
Purchased by : KRISHNA GREENS DEVELOPERS  
Description of Document : Article 23 Conveyance  
Property Description : MAUJA KOTA DISTT MATHURA  
Consideration Price (Rs.) :  
First Party : SANGEETA AGRAWAL  
Second Party : KRISHNA GREENS DEVELOPERS  
Stamp Duty Paid By : KRISHNA GREENS DEVELOPERS  
Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,00,000  
(One Lakh only)



*Sangeeta Jain*  
  
  
  
*Kant*  


0013962633









{ 3 }

॥ श्रीहरिः ॥

1. भूमि का प्रकार : कृषि भूमि
2. मौहल्ला/ग्राम : बैनामा आराजी मौजा कोटा तहसील व जिला मथुरा,
3. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं.) : आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नं0-595 खसरा नं0-109 रकबा 0.270 है0 लगानी रुबरु कागजात सम्पूर्ण अंश
4. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : रकबा 0.270 है0
5. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) : मुख्य मार्ग व लिंक मार्ग से दूर
6. प्रतिफल की धनराशि : 35,10,000/-रुपये
7. सरकारी मालियत :- 35,10,000/-रुपये
8. देय स्टाम्प-2,45,700/-रुपये ई-स्टाम्प संलग्न है
9. उक्त क्षेत्र की कृषि भूमि का सरकारी रेट 1,30,00,000/-रुपया प्रति है0 जो रेट लिस्ट में पेज नं0-47 कोड नं0-1163 पर दर्ज है, कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक द्वितीय मथुरा।

Sangeeta jain




आवेदन सं०: 202200764053641

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 23164

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 3510000 स्टाम्प शुल्क- 245700 बाजारी मूल्य - 3510000 पंजीकरण शुल्क - 35100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 35160

श्रीमती संगीता अग्रवाल,  
पत्नी श्री मनीष कुमार जैन  
व्यवसाय: अन्य  
निवासी: रोडदेज वर्कशाप के सामने मकान नं०-3133 चौकी बाग बहादुर मथुरा

Sangeeta Jain



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/11/2022 एवं 03:49:47 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजीव कुमार प्रभारी  
उप निबंधक : सदर प्रथम

मथुरा  
15/11/2022

प्रदीप कुमार  
निबंधक लिपिक  
15/11/2022

प्रिंट करें

प्रथम पक्ष विक्रेता

श्रीमती संगीता अग्रवाल उर्फ संगीता जैन पत्नी श्री मनीष कुमार जैन निवासी-रोडवेज वर्कशाप के सामने, मकान नं०-3133 चौकी बाग बहादुर, मथुरा मो०-9027046601 PAN-AGRPA8935H

द्वितीय पक्ष क्रेता

कृष्णा गीन्स डवलपर्स (कृष्णा आर्चिड), गोवर्धन रोड, मथुरा PAN-AAYFK5831H द्वारा अधिकृत साइडीदारान संजय कुमार जैन पुत्र श्री लोकचन्द जैन निवासी-बी-39, मोतीकुंज, मथुरा व विपिन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोतीलाल अग्रवाल निवासी-40, धौलीप्याऊ रोड, मयूर बिहार, मथुरा मो०-9897466800

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नं०-595 खसरा नं०-109 रकबा 0.270 है० लगानी रुबरु कागजात सम्पूर्ण अंश बाकै मौजा कोटा तहसील व जिला मथुरा, मिळिकयत प्रथम पक्ष की है, जिस पर विक्रेता का ही एकमात्र वास्तविक मालिकाना कब्जा है तथा विक्रेता का ही नाम सरकारी कागजात व राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, सिवाय विक्रेता के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और विक्रेता को उक्त आराजी की बाबत पूरे मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा उक्त आराजी किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक नहीं है और न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क है और न ही उक्त आराजी किसी जगह रहन व गिरवी आदि है और न ही किसी भी

Sangeeta Jain



Krishna Gains



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 23164

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्रीमती संगीता अग्रवाल, पत्नी श्री मनीष कुमार जैन

निवासी: रोडवेज वर्कशाप के सामने मकान नं०-3133 चौकी बाग बहादुर मथुरा

व्यवसाय: अन्य

Sangeeta Jain

क्रेता: 1



श्री कृष्णा ग्रीन्स डवलपर्स कृष्णा आर्चिड मथुरा के द्वारा संजय कुमार जैन, पुत्र श्री लोकचन्द जैन

निवासी: बी 39 मोतीकुंज मथुरा

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 2

[Signature]



श्री कृष्णा ग्रीन्स डवलपर्स कृष्णा आर्चिड मथुरा के द्वारा विपिन कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री मोतीलाल अग्रवाल

निवासी: 40 धौलीप्याउ रोड मयूर बिहार मथुरा

व्यवसाय: अन्य

[Signature]



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री मुकेश अग्रवाल, पुत्र श्री अशोक अग्रवाल

निवासी: तत्वदर्शी वाटिका मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

[Signature]



श्री सुरेश, पुत्र श्री विशानबाब

निवासी: राया मथुरा

व्यवसाय: अन्य

[Signature]



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजीव कुमार प्रभारी

उप निबंधक : सदर प्रथम

मथुरा  
15/11/2022

प्रदीप कुमार  
निबंधक/सहायक मथुरा  
15/11/2022


ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।  
टिप्पणी:

प्रिंट करे

प्रकार की अधिगृहण की कार्यवाही में विचाराधीन है और उक्त आराजी के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद किसी न्यायालय आदि में विचाराधीन नहीं है, और ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है जो उक्त आराजी के बेचने या हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रूकावट डाल सके और उक्त आराजी की बाबत प्रथम पक्ष ने कोई इकरारनामा मुहायदावै पंजीकृत या अपंजीकृत किसी के साथ तय नहीं किया है, यानि हर प्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे आदि से पाक साफ तन्हा प्रथम पक्ष की ही सम्पत्ति है। उक्त आराजी से कोई खास लाभ व आय प्रथम पक्ष को नहीं है और अपनी जरूरतों के लिये प्रथम पक्ष को धन की आवश्यकता है। अतः प्रथम पक्ष ने उक्त आराजी सम्पूर्ण अंश को विक्रय कर देना उचित समझा है और इस समय द्वितीय पक्ष खरीददार अच्छी कीमत देकर उक्त आराजी को क्रय करने को तैयार है। इस कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष का सरासर लाभ है।

चुनांचि उक्त आराजी सम्पूर्ण अंश जिसे संलग्न नक्शे में रंग लाल से दिखाया गया है, को समस्त अधिकारो सहित जो प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोडे किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के समस्त राईट्स व इन्ड्रेस्ट व टाईटिल के व समस्त हकूक व अधिकारों सहित वसुशी बराजी अपने बप्रेवज 35,10,000/-रु. (पैंतीस लाख दस हजार रुपये) में बदस्त कृष्णा ग्रीन्स डवलपर्स (कृष्णा आर्चिड), गोवर्धन रोड, मथुरा द्वारा अधिकृत साझीदारान संजय कुमार जैन पुत्र श्री लोकचन्द जैन निवासी-बी-39, मोतीकुंज, मथुरा व विपिन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोतीलाल अग्रवाल निवासी-40, धौलीप्याऊ रोड, मयूर बिहार, मथुरा क्रेता द्वितीय पक्ष के हक में बेच दी और विक्री कर दी और कीमत का कुल रुपया प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष से नीचे लिखे अनुसार प्राप्त कर कब्जा व दखल बेची गयी आराजी पर खरीदार द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष

Sangeeta Jain








ने वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया। द्वितीय पक्ष कय की गयी उक्त आराजी के आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गये। वह समस्त अधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और जो चाहे सो करे तथा अपना नामान्तरण सरकारी कागजात व राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज करावे। अब बेची गयी उक्त आराजी में प्रथम पक्ष व उनके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। अगर कभी कोई व्यक्ति बेची गयी आराजी की मिल्कियत की बाबत दावा या झगड़ा उत्पन्न करे और जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष क्रेता से निकल जावे या कहीं रहन आदि निकले और उसकी बाबत द्वितीय पक्ष को कुछ खर्च करना पडे या देना पडे तो प्रथम पक्ष की हर प्रकार की पूरी जिम्मेदारी होगी। द्वितीय पक्ष अपना कीमत का दिया गया रूपया मय हर्जा खर्चा व लागत व अदा खर्च किये गये रूपयों को मय सूद के प्रथम पक्ष व उनके वारिसानों से व उनकी हर प्रकार की चल अचल सम्पत्ति से बाजाब्ता बजरिये अदालत प्राप्त कर ले, इसमें प्रथम पक्ष व उनके वारिसानों को कुछ उज्ज न होगा। विक्रय आराजी में कोई कुआं, पेड़ बोरिंग आदि नहीं है और कृषि कार्य हो रहा है। उक्त आराजी आवास विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है तथा क्रेता व विक्रेता अनूसूचित जाति के सदस्य नहीं है, स्टाम्पशुल्क, फीस आदि समस्त खर्चा बैनामा क्रेता ने वहन किया है।

विवरण कीमत का कुल रूपया प्राप्ति का :-

कीमत का कुल 35,10,000/-रूपया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से बजरिये आरटीजीएस बैंक ट्रान्सफर दिनांक 04.11.2022 आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्राप्त कर लिया है।

Sangeeta Jain



{7}

इसलिए यह बैनामा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में अपनी राजी खुशी से लिख दिया, कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ व सुना कर, झापट व टाहप कर निबंधन हेतु पक्षकारगण के सुपुर्द किया गया।

दिनांक : 15.11.2022  
टाहप किया : दीपक  
झापट किया : सोहनलाल शर्मा एडवोकेट, मथुरा

Sameeta Jain

गवाह-मुकेश अग्रवाल पुत्र अशोक अग्रवाल  
नि०-तत्वदर्शी वाटिका मथुरा मो०-8218048013



गवाह-सुरेश पुत्र विशनबाबू  
नि०-राया मथुरा मो०-9457077190



आवेदन सं०: 202200764053641


बही संख्या 1 जिल्द संख्या 17788 के पृष्ठ 217 से 232 तक क्रमांक 23164 पर  
दिनांक 15/11/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजीव हंकरवल प्रभारी  
उप-निबंधक : सदर प्रथम  
मथुरा  
15/11/2022

प्रिंट करें

नमस्ते नमस्ते आराधी वनाता - क 575 एकरा 109  
 बाई मीना कोरा. सुसिद्ध विजा. बायु. रूप  
 विवेका: श्री मनी संमिता का प्रवक्त प्रती श्री मनीष  
 सुभाष जैन  
 नोट: विविध आराधी के 200 और सेवने प्रस्ताव विवेका  
 सुभाष जैन सुसिद्ध क आराधी परिसर 200  
 एकरा 0.270 एकरा संमती अंश विवेक



107  
 106  
 109  
 108

N/125  
 550

नमस्ते नमस्ते  
 सुसिद्ध विजा.  
 नमस्ते नमस्ते  
 15.11.2022

